विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0024312

मेसर्स खण्डेलवाल प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, — आवेदक
13 यू.जी. कपिल टॉवर, वेअर हाउस रोड,
सियागंज, इन्दौर (म.प्र.)
पिन कोड – 452007

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदकगण
जी.पी.एच. कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

आदेश

(दिनांक 24.04.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक W00211211 मेसर्स खण्डेलवाल प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज विरूद्ध अधीक्षण यंत्री तथा अन्य 1 में पारित रिव्यू (पुनरीक्षित) आदेश दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के आदेश के विरूद्ध पूर्व में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु उसने नियमानुसार फोरम द्वारा निर्धारित राशि की आधी राशि जमा नहीं की थी, अतः उसका अभ्यावेदन निरस्त किया गया था । उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में रिट याचिका क्रमांक 8935/2012 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 के अनुसरण में उपभोक्ता द्वारा 2 लाख की राशि जमा किए जाने के बाद उसका अभ्यावेदन सुनवाई में लिया गया ।

3. अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाला पक्षकार विद्युत का उपभोक्ता है और उसका विद्युत कनैक्शन गैर–घरेलू श्रेणी का है । उक्त कनैक्शन का उपयोग प्लास्टिक इण्डस्ट्री के संचालन के लिए किया जाता है । उपभोक्ता को दिनांक 18.03.93 को 34 हा.पा. का औद्योगिक पावर कनैक्शन दिया गया था । उपभोक्ता के आवेदन पर 34 हा.पा. से 74 हा.पा. की वृद्धि की गई थी और भार वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 17.06.06 को नया मीटर स्थापित किया गया था । दिनांक 13.09.11 को उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का परीक्षण करने पर मीटर के बाहर के बाक्स, अन्दर के बाक्स, सी.पी. मैन कवर, सी.टी. बाक्स की पेपर सील में एम0एफ0 1.5 अंकित था । उपभोक्ता को 13.09.11 के पूर्व जो विद्युत देयक जारी किए गए थे उनका निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को विद्युत देयक 1 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के अनुसार जारी किए गए हैं, जबकि खपत की गणना 1.5 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के अनुसार किया जाना चाहिए था । इस तथ्य से यह स्पष्ट हुआ कि दिनांक 17.06.06 से उपभोक्ता की कुल खपत का 0.5 की कम बिलिंग की जा रही है, अतः 17.06.06 से 31.08.11 तक की अवधि में उपभोक्ता द्वारा विद्युत का जिस मात्रा में उपयोग किया गया था उसे 1.5 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के आधार पर पुनरीक्षित देयक तैयार किए गए और उपभोक्ता को रू. 941677/– (नौ लाख इक्तालीस हजार छः सौ सत्ततर) रू. का देयक जारी किया गया ।

4. उपभोक्ता ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी उक्त देयक को इस आधार पर चुनौती दी कि वह दिनांक 17.06.06 से 31.08.11 तक विद्युत खपत का देयक प्रतिमाह अदा करता था । दिनांक 13.09.11 को मीटर का निरीक्षण करने पर मीटर में कोई दोष नहीं पाया गया था, ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) की गणना करने की गलती अनावेदक की ओर से की गई थी । अतः भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13.09.11 से पिछले 2 वर्ष की राशि के अतिरिक्त उससे अन्य राशि वसूल नहीं की जा सकती है ।

5. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध इस आधार पर किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत ऊर्जा की खपत की संगणना 1.5 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के अनुसार की जानी चाहिए थी, इस तथ्य की जानकारी उपभोक्ता को थी । ऐसी स्थिति में दिनांक 13.09.11 को परीक्षण किए जाने पर जब भूल की जानकारी हुई उस समय ऐसी भूल को सुधारने के लिए तत्काल उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किया गया है । अतः उपभोक्ता के मामले में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधान प्रभावशील नहीं होते हैं और उपभोक्ता देयक में वर्णित पूरी राशि अदा करने के लिए उत्तरदाई है ।

6. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह माना है कि उपभोक्ता को संशोधित देयक मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) की संगणना में की जाने वाली गलती की जानकारी प्राप्त होने के तत्काल बाद जारी किए गए हैं, ऐसी स्थिति में धारा 56 (2) के प्रावधानों का कोई लाभ उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होता है और वह प्रश्नगत देयक में वर्णित पूरी राशि को अदा करने के लिए उत्तरदाई है ।

7. **विचारणीय प्रश्न यह है कि** – क्या भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में देयक में वर्णित सम्पूर्ण राशि उपभोक्ता से वसूल किए जाने योग्य है ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

8. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के प्रावधान इस प्रकार है :–

*"**56. Disconnection of supply in default of payment** - (1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving not less than fifteen clear days' notive in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconneting the supply, are paid, but no longer:*

Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such person deposits, under protest, -

(a) an amont equal to the sum claimed from him, or

(b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months,

whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licensee.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

9. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जहां कोई विद्युत उपभोक्ता विद्युत का चार्ज निर्धारित अवधि में भुगतान करने में असफल रहता है तो उस स्थिति में उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जा सकता है, परन्तु यदि उपभोक्ता से वसूली योग्य किसी रकम की मांग जब ऐसी राशि वसूली योग्य हुई है, के 2 वर्ष की कालावधि के अंदर उससे वसूल हेतु देयक जारी नहीं किया जाता है उस स्थिति में 2 वर्ष की कालावधि के बाद उपभोक्ता से ऐसी राशि वसूल नहीं की जा सकती और ऐसी राशि उपभोक्ता द्वारा जमा न करने के कारण उसके विद्युत सप्लाई को विच्छेदित नहीं किया जा सकता है ।

10. प्रश्नगत मामले में दिनांक 17.06.06 से 31.08.11 तक प्रत्येक माह उपभोक्ता द्वारा विद्युत का जिस मात्रा में उपयोग किया जाता था उस मात्रा के लिए उसे अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नियमानुसार जो देयक जारी किया जाता था उनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा प्रतिमाह किया जाता था । दिनांक 13.09.11 को अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का निरीक्षण करने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता से विद्युत देयक की वसूली 1.5 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के अनुसार की जानी चाहिए थी । उन्होंने इसके पूर्व उपभोक्ता को जारी किए गए विद्युत देयकों का निरीक्षण किया और यह पाया कि उपभोक्ता को इसके पूर्व जो देयक जारी किए गए थे उसमें विद्युत खपत की संगणना 1.5 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के आधार पर नहीं की गई थी, इसके विपरीत 1 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के आधार पर की गई थी ।

11. उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की खपत की संगणना करने का दायित्व अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदाई अधिकारी पर था । दिनांक 17.06.06 से 13.09.11 तक उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया की विद्युत ऊर्जा खपत की संगणना करने के लिए किस मानक का उपयोग करना है, इस तथ्य से स्पष्ट है कि विद्युत ऊर्जा की खपत की संगणना करने में गलती अनावेदक विद्युत

वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा की गई थी और ऐसी त्रुटि के लिए उपभोक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदाई नहीं था ।

12. प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदाई अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण जो त्रुटि हुई थी उस त्रुटि का दण्ड वहन करने के लिए क्या उपभोक्ता को बाध्य किया जा सकता है ? ।

13. इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए हमें पूरे आयाम को ध्यान में रखना आवश्यक होगा ।

14. उपभोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की प्रत्येक ईकाई का मूल्य अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई होता है । ऐसी विद्युत ऊर्जा की प्रत्येक ईकाई का मूल्य पूर्व निर्धारित होता है, अतः ऐसी ऊर्जा का उपभोग करने वाला उपभोक्ता अपने आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है । सामान्य अर्थात् घरेलू उपभोक्ता के विपरीत विद्युत का उपयोग करने वाले गैर घरेलू उपभोक्ता को एक अतिरिक्त विशेषता यह भी होती है कि वह विद्युत ऊर्जा के उपयोग से जिस वस्तु का उत्पादन करता है उस वस्तु के उत्पादन लागत में विद्युत ऊर्जा का मूल्य भी सम्मिलित करता है अर्थात् उत्पादित किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय लागत में विद्युत ऊर्जा के मूल्य को सम्मिलित करते हुए उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है । इसके अतिरिक्त उस वस्तु के विक्रय से प्राप्त लाभ पर ऐसे उत्पादक को राज्य द्वारा अधिरोपित आयकर जैसे कर के अतिरिक्त अन्य कर भी अदा करने पड़ते हैं । उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का मूल्य अदा करने के बाद उत्पाद का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उस मूल्य पर ऐसी उत्पादित वस्तु को विक्रय करने के बाद यदि उपभोक्ता को पूर्व में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा का मूल्य अदा किए गए मूल्य से अधिक अदा करने के लिए उत्तरदाई ठहराया जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे उत्पादक को निश्चित ही हानि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादित वस्तु के मूल्य के रूप में उसे जो राशि प्राप्त हुई है उसे वह विक्रय के बाद पुनः क्रेता से वसूल नहीं कर सकता है तथा उसने इस प्रयोजन हेतु जो भी कर अदा किया है उन्हें भी वह राज्य से वापस प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर हानि अर्थात् घाटे का सामना विद्युत का उपयोग करने वाले उत्पादक को होता है । इस आयाम को तथा इसी तरह के अन्य आयाम को ध्यान में रखते हुए विधायिका ने विद्युत अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि विद्युत का वितरण करने और उसका मूल्य वसूल करने के लिए जिस व्यक्ति को उत्तरदाई ठहराया गया है वह व्यक्ति उपभोक्ता से 2 वर्ष के बाद उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का मूल्य वसूल करने में सक्षम नहीं होगा ।

15. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के संबंध में उभय पक्ष की ओर से कई न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं, परन्तु इस मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय गुजरात (अहमदाबाद) ने Uttar Gujrat Vij Company vs GIDC Industrial Association, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नम्बर 15289 of 2012 तथा बाम्बे माननीय उच्च न्यायालय ने Awadesh S. Pandey vs Tata Power Co. Ltd. And Ors. on 5 October, 2006 (AIR 2007 BOM 52) जो सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं वह समीचीन है । दोनों मामलों में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय तथा माननीय बाम्बे उच्च न्यायलय ने यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता द्वारा वसूली योग्य राशि 2 वर्ष की कालावधि के पश्चात वसूली योग्य नहीं होती है।

: निष्कर्ष :

16. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है कि दिनांक 17.06.06 से 31.08.11 तक उपभोक्ता को जो देयक अनावेदक द्वारा जारी किए गए थे उनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा निर्धारित कालावधि में किया गया था । भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को यह अधिकार प्राप्त था कि वह उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का किसी भी समय निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकता था । विद्युत ऊर्जा की खपत की संगणना करने में किस मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के अनुसार संगणना करना है, इसकी जानकारी अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को थी, परन्तु उन्होंने अपने ऐसे उत्तरदायित्व का पालन सही ढंग से नहीं किया था तथा दिनांक 13.09.11 के पूर्व उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का निरीक्षण नहीं किया था । नियमानुसार ऐसे मीटर का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए था, परन्तु संभवतः जान–बूझकर या अनजाने में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों ने अपने ऐसे दायित्व का पालन नहीं किया था, जिससे उपभोक्ता से नियमानुसार विद्युत ऊर्जा की वसूली नहीं की जा सकी थी और ऐसी वसूली न किए जाने के कारण विद्युत वितरण कम्पनी को हानि हुई थी । यद्यपि विद्युत ऊर्जा का वास्तविक मूल्य वसूल न हो पाने के कारण अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को हानि हुई थी, परन्तु ऐसी हानि के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से उपभोक्ता को उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता है और अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को दिनांक 17.06.06 से 31.08.11 तक की पूरी अवधि के लिए संशोधित देयक जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है । भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के

परिप्रेक्ष्य में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी दिनांक 31.08.11 के पूर्व 2 वर्ष की अवधि के लिए उपभोक्ता को संशोधित देयक जारी कर सकता है और ऐसे देयक में वर्णित राशि की वसूली उपभोक्ता से की जा सकती है ।

17. अतः आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। फोरम के आदेश को अपास्त किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता को दिनांक 31.08.11 के पूर्व 2 वर्ष की अवधि में उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का संशोधित देयक 1 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के स्थान पर 1.5 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के आधार पर संगणित करें। उपभोक्ता द्वारा 1 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के आधार पर संगणित की गई राशि का जो देयक जारी किया गया है उसे 1.5 मल्टीप्लाईंग फेक्टर (MF) के आधार पर संगणित राशि में से घटाया जाए और जो राशि शेष बचती है उसका संशोधित देयक उपभोक्ता को जारी किया जावे । उपभोक्ता द्वारा इस प्रयोजन हेतु जमा 2 लाख रू. की राशि का समायोजन उक्त राशि में से किया जाए तथा समायोजन के बाद उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि वसूल होना शेष हो तो ऐसी अतिरिक्त राशि का देयक जारी किया जाए । इसके विपरीत यदि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई 2 लाख रू. की राशि में से उपभोक्ता को संशोधित देयक के अनुसार राशि वापस करना आवश्यक हो तो ऐसी शेष राशि का समायोजन आगे आने वाले बिलों में किया जावे ।

18. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति नियमानुसार पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल